न्यायालय : प्रवीण कुमार सौंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)
::: संशोधित कार्य विभाजन आदेश वर्षः–2024:::

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेश कमांक 43/गोपनीय/2024/।।–2–1/2024 जबलपुर दिनांकित 26.01.2024 के अनुसार श्री बलवीर सिंह धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ जिला मंदसौर की पदौन्निति तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सिवनी पर हो जाने से उनका न्यायालय रिक्त होने से मैं प्रवीण कुमार सौंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर, प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश दिनांकित 04.07.2023 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता हैः–

(A)- कार्य विभाजन पत्रक के **सरल कमांक 10 में श्री बलवीर सिंह धाकड़,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ एवं समक्ष **कॉलन नंबर 10(अ), 10(ब), 10(स), 10(द), 10(इ)** एवं उसके समक्ष संपूर्ण विवरण **को विलोपित** किया जाता है।

(B)- कार्य विभाजन पत्रक के **सरल कमांक 11 में श्रीमती अर्चना यादव,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ एवं समक्ष **कॉलन नंबर 11(अ), 11(ब), 11(स), 11(द), 11(इ) में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट** किया जाता है।

(11)-	**श्रीमती अर्चना यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ**	11(अ) आरक्षी केंद्र– सीतामउ एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत) **एवं सुवासरा**	1. स्तंभ कमांक 11(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (कंडिका 11 (अ) में उल्लेखित किये गये महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		11(ब) आरक्षी केंद्र सीतामउ, सुवासरा* एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**4.** स्तंभ कमांक 11(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध – 1. महिलाओं के विरूद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498–ए एवं 509 के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम,

			महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. दंड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।
		11(स) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, **सुवासरा,** नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत), आरक्षी केंद्र तथा आबकारी वृत्त सीतामउ	3. स्तंभ कमांक 11(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		11(द) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, **सुवासरा** एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**4.** स्तंभ कमांक 11(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 1 से अधिक) राशि के समस्त परिवाद।
		11(इ) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, **सुवासरा** एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**5.**स्तंभ कमांक 11(इ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न– 1. श्रम निरीक्षक/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 2. नाप–तौल निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 3. खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 4. कारखाना निरीक्षकों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 5. वन्य विधि (Forest Laws) एवं खनिज अधिनियम (Mining Laws) से संबंधित समस्त प्रकरण।

		11(एफ) आरक्षी केंद्र– सीतामउ, **सुवासरा** एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)	**6.** स्तम्भ कमांक 11 (एफ) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।

धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां

संशोधित ::: अनुसूची "ब" ::: दिनांक 04.07.2023 में कॉलम नंबर 7 विलोपित किया जाकर कॉलम नंबर 8 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क.	आरक्षी केंद्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
8	आरक्षी केंद्र सुवासरा, सीतामउ एवं नाहरगढ़ के (सीतामउ तहसील क्षेत्राधिकारांतर्गत) के – (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

(आज दिनांक 19/2/2024 से प्रभावशील)

प्रतिलिपियां :–

पृष्ठांकन कमांक 176/**2024** मंदसौर दिनांक 19 /02/2024

01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

02 श्री ....., न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतामउ जिला मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

03 अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी सीतामउ जिला मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, सीतामउ जिला मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06 थाना प्रभारी आरक्षी केंद्र– सीतामउ, **सुवासरा** एवं नाहरगढ़ (सीतामउ तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत)की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07 ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार सौंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)